राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ/02/07/2020/एस.1/26 **दिनांक 07.04.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, भारत सरकार ने पूरे भारत (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित) में 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल, 2020 की मध्यरात्रि तक कोविड–19 महामारी के नियंत्रण के लिए लॉकडाउन की अधिसूचना जारी है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सर्वसंबंधित प्राधिकरणों को स्थिति से उचित तरीके से निबटने के लिए समय–समय पर विभिन्न आदेशध्नदेश जारी किए हैं।

और जबकि, केंद्रीय गृह सचिव, भारत सरकार ने अपने दिनांक 03.04.2020 के पत्र के तहत निदेश/स्पष्टीकरणों से अवगत कराया है ताकि अनिवार्य वस्तुओं तथा संबद्ध चीजों की निर्बाध आपूर्ति हो सके, जिसे पत्र सं. एक/02/07/2020/एस.1/22, दिनांक 04.04.2020 के द्वारा सभी विभागों और प्राधिकरणों की जानकारी में भी लाया गया है।

और जबकि, सचिव, उपभोक्ता माममले विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 04.04.2020 के पत्र के तहत सूचित किया है कि अनेक कंपनियों ने अपने कामकाज के लिए श्रमिक न मिलने की कठिनाइयों के बारे में सूचित किया है तथा सुझाव दिया है कि फैक्टरियों, वेयरहाउसों, परिवहन और भोजन तथा ग्रोसरी की अनिवार्य वस्तुओं के वितरण संबंधी कार्यों के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और मकान मालिकों, सोसाइटी तथा ग्रामीणों से अपील की जाए कि वे काम पर जाने पर जाने वाले कामगारों को अनुमति प्रदान करें।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों का अनुपालन करते हुए, राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि :

i) सचिव–सह–आयुक्त, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मान्यता प्राप्त यूनियनों से अपील करेगा और एसोसिएशनों से कहा जाएगा कि फैक्टरियों, वेयरहाउसों, परिवहन तथा भोजन और ग्रोसरी की अनिवार्य वस्तुओं के वितरण संबंधी कार्यों के लिए के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

ii) सभी जिलाधिकारी और उनके समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त सभी ट्रकों और अन्य माल वाहनों के अनर्राज्यों तथा अंतः–राज्य आवाजाही की सुविधा पर नजर रखेंगे. साथ ही, यदि ड्राइवर के

पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ड्राइवर के साथ एक अतिरिक्त व्यक्ति को जाने की अनुमति होगी. यदि ट्रक/वाहन खाली जा रहा हो, तो ड्राइवर को सामान की डिलीवरी अथवा पिक–अप के लिए इन्वॉयस, वे–बिल इत्यादि अलग से अपने पास रखना होगा. ड्राइवर के साथ एक अतिरिक्त व्यक्ति को अपने निवास स्थान से ट्रक रखने वाले स्थान तक आने–जाने की अनुमति हो।

iii) आयुक्त, व्यापार एवं कर, रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार, जिसे पहले से ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ई–कॉमर्स सेवाओं के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है, को उन कंपनियों /संगठनों को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए भी नोडल अधिकारी नामित किया गया हो, जो पूरे देश में अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं. ये अधिकारी राज्यों के नोडल अधिकारियों, दिल्ली पुलिस और श्री एन. नटराजन, तकनीकी निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार से समन्वय बनाए रखेंगे।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. सचिव–सह–आयुक्त, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. आयुक्त, कर एवं व्यापार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री, दिल्ली।
4. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली।
6. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, दिल्ली।
7. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
8. आयुक्त (उत्तर दिल्ली नगर निगम, पूर्व दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम)।
9. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), दिल्ली।
10. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।
11. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।
12. एसआईओ, एनआईसी, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।